माननीय न्यायाधीश जवाहर लाल गुप्ता के समक्ष

रसीला राम,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1992 की *सिविल रिट याचिका संख्या* 2067

23 अप्रैल, 1992।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226-आरक्षण* के *लाभ-पदोन्नति-याचिकाकर्ता हरियाणा का* एक *अनुसूचित जाति का अधिकारी-इस आधार पर पदोन्नति* से *इनकार किया गया कि याचिकाकर्ता हरियाणा में अधिवासित नहीं है-पदोन्नति से इनकार करने वाले प्रतिवादी की* कार्रवाई *को चुनौती दी गई-यह* अभिनिर्धारित किया गया कि *याचिकाकर्ता* हरियाणा *सरकार का कर्मचारी वास्तविक निवासी है और इसलिए आरक्षण के सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा राज्य में रोजगार पर किसी अन्य राज्य के निवासी किसी विशेष जाति के सदस्य नहीं रह जाते हैं, जिससे वे वास्तव में संबंधित हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में, एक चमार जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित है और हरियाणा राज्य में भी मान्यता प्राप्त है अभी भी उस वर्ग का सदस्य है। 18 दिसंबर, 1973 के निर्देशों के आधार पर, वह हरियाणा राज्य का एक प्रामाणिक निवासी बन (पैरा 10) जाता है और इस *प्रकार* आरक्षण का लाभ पाने का हकदार हो जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के *तहत सिविल रिट याचिका यह प्रार्थना करती है कि :—*

(a) 5 *फरवरी, 1992 की सलाह (अनुलग्नक पी-8) और 7 फरवरी, 1992 के आदेश* (अनुलग्नक *पी-10)* को *रद्द करते हुए उत्प्रेषण की* प्रकृति *में एक* रिट;

(b) प्रतिवादी *को उप अधीक्षक के पद पर* पदोन्नति *के लिए याचिकाकर्ता*

के दावे पर विचार करने का निर्देश देते हुए परमादेश प्रकृति का एक रिट और उपयुक्त पाए जाने पर नियमित पदोन्नति आदेश जारी करना;

(c) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय अदालत इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझती है।

(d) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों *को दाखिल* करने *की शर्त को समाप्त किया जाना चाहिए;*

(e) प्रतिवादी पर प्रस्ताव की अग्रिम सूचना जारी करने की शर्त को हटा दिया जाए;

(f) इस याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, 5 फरवरी, 1992 (अनुलग्नक पी-8) की *सलाह* के *संचालन और 7 फरवरी, 1992* (अनुलग्नक *पी-10)* के *आदेश पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता आनंद छिब्बर*,

जसवंत सिंह, राज्य की *ओर से अधिवक्ता*

सूर्यकांत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *3 के लिए।*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य का रहने वाला है। क्या वह हरियाणा राज्य में आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है। कुछ तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता को 19 मार्च, 1970 को हरियाणा राज्य में क्लर्क-सह-टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। 22 मई, 1975 को उन्हें सहायक के

रूप में पदोन्नत *किया* गया।18 मार्च, 1992 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की 8 जनवरी, 1979 से सहायक के रूप में पुष्टि की गई थी। उन्हें दक्षता सीमा को पार *करने*की अनुमति दी गई थी-दिनांकित आदेश के अनुसार

4 मई, 1985 को नियत तिथि 1 अप्रैल, 1985 , 24 जनवरी, 1991 को याचिकाकर्ता को 1 नवंबर, 1988 से उप अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इस पदोन्नति को श्री के. के. भल्ला ने 1991 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2765 में चुनौती दी थी। इस याचिका को 31 मई, 1991 को मंजूरी दी गई थी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उपाधीक्षक के पद से सहायक के पद पर वापस भेज दिया गया। उपाधीक्षक का एक और पद 1 दिसंबर, 1991 को उपलब्ध हुआ। 13 *दिसंबर,* 1991 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को 'अपने स्वयं के वेतनमान में उपाधीक्षक के पद का कार्यवाहक प्रभार' दिया गया था। 7 *फरवरी, 1992* के आदेश के अनुसार, बाबू लाल, प्रतिवादी संख्या 3 को उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था और 13 दिसंबर, 1991 के आदेश को वापस ले लिया गया था जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को पद का कार्यवाहक प्रभार दिया गया था।इस कार्रवाई से आहत होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका द्वारा से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(3)रिट याचिका में किए गए दावे का आधिकारिक और निजी प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में विरोध किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों पर भरोसा किया गया है। अनुसूचित जाति आदि के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आवश्यक निर्देशों का उल्लेख करना उपयुक्त है।

(4) पंजाब के संयुक्त राज्य में 7 सितंबर, 1963 के *पत्र* के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। यह सवाल उठा कि क्या आरक्षण का लाभ उन अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भी दिया जा सकता है जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता दी गई थी, हालांकि वे अन्य राज्यों के अधिवास थे। 20 *जनवरी,* 1972 के पत्र के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग ने सरकार के निर्णय से अवगत कराया कि "इन निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ *केवल उन अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों को दिया जाना है जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं।यह लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाना है जो अन्य राज्यों के निवासी हैं।" (जोर दिया गया)। इसके* बाद, 15 सितंबर, *1972* के *पत्र* के माध्यम से, यह निर्णय *लिया गया* कि "जहां तक आयु और शुल्क अन्य बातों के साथ साथ छूट का संबंध है, ये सुविधाएँ न केवल

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जो हरियाणा के निवासी हैं, बल्कि उन लोगों को भी दी जानी चाहिए जो हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के निवासी हैं और उन अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।" यह देखा गया कि आयु और शुल्क में छूट की हरियाणा में अनुसूचित जातियों की आबादी के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है, जिसके आधार पर पदों का आरक्षण तय किया गया था।इन दोनों पत्रों की प्रतियां प्रतिवादी सं. 3 के लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर 3/1 और आर 3/2 के रूप में इस मामले के रिकॉर्ड में हैं।

176 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1994) 1

ऊपर उल्लिखित 15 सितंबर, 1972 के पत्र की निरंतरता में, समाज कल्याण विभाग ने 18 दिसंबर, 1973 को सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए (अनुलग्नक पी. 5) जिसमें सलाह दी गई थी कि "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी, जो हरियाणा सरकार की सेवा में हैं, उन्हें भी हरियाणा का प्रामाणिक निवासी माना जाना *चाहिए* और उन्हें और उनके बच्चों को सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।" इसके बाद, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने इस आशय के निर्देश जारी किए कि जिस तरह अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अधिवासियों को दिया जाता है, उसी तरह पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो हरियाणा राज्य के अधिवास हैं और दूसरों को नहीं।" 22 *अक्टूबर,* 1990 के पत्र (अनुलग्नक आर3/3ए) के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया था कि "यदि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति हरियाणा में सामान्य उम्मीदवार के रूप में सेवा में शामिल होता है और बाद में हरियाणा राज्य द्वारा आरक्षित घोषित जाति के लिए दूसरे राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के लाभ का दावा करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। हालाँकि, उनके बच्चे/आश्रित हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के आश्रित होने के नाते आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।"

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि उपाधीक्षक की रिक्ति होने पर इस बात पर संदेह पैदा हुआ कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के मामले में आरक्षण का लाभ पाने का

हकदार था या नहीं। 18 दिसंबर, 1991 के *पत्र* के माध्यम से, जिसकी एक प्रति संलग्नक आर. 3/6 के रूप में प्रस्तुत की गई है, मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था।ऊपर उल्लिखित 18 दिसंबर, 1973 के पत्र की ओर इंगित ध्यान आकर्षित किया गया था।यह स्पष्टीकरण दिया गया था, 5 फरवरी, 1992 का पत्र (अनुलग्नक पी-8)।यह देखा गया कि 20 जनवरी, 1972 के निर्देशों के अनुसार, 15 जुलाई, 1985 के पत्र के साथ पढ़ा गया, "प्रारंभिक भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य है, न कि हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए।" यह भी देखा गया कि हरियाणा सरकार की सेवा में शामिल होने के बाद हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को हरियाणा का प्रामाणिक निवासी नहीं माना *जा सकता* है और इसलिए वे अपने लिए आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।हालाँकि, ऐसे व्यक्ति के बच्चों/आश्रितों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है क्योंकि वे हरियाणा के अधिवासी बन जाते हैं।" इस स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर ही प्रतिवादी संख्या 3 को पदोन्नत करने और 13 दिसंबर 1991 के आदेश को रद्द करने का आदेश पारित किया गया।

(6) उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे अनुसूचित जाति का सदस्य माने जाने का अधिकार है और उसे आरक्षण का लाभ दिया जाए । श्री आनंद छिब्बर, जिन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से मामले में तर्क दिया है, का तर्क है कि 20 से अधिक वर्षों तक राज्य की सेवा करने के बाद, याचिकाकर्ता हरियाणा का अधिवास है और रिक्तता की घटना की तारीख से लागू निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है। इस दावे का प्रतिवाद श्री जसवंत सिंह और सूर्यकांत द्वारा किया गया है, जो प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता हैं।

(7) पक्षों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता जाति से 'चमार' है।'चमारों को हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ-साथ हरियाणा राज्य में भी अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 18 दिसंबर, *1973* के पत्र के माध्यम से, हरियाणा सरकार ने निर्देश दिया था कि अनुसूचित जाति के सदस्य जो हरियाणा सरकार की सेवा में हैं, उन्हें भी हरियाणा का वास्तविक निवासी *माना* जाना चाहिए और उन्हें और उनके बच्चों को सरकारी सेवा में *आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।" इस* पत्र के आधार पर, श्री छिब्बर दृढ़ता से तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है। दूसरी ओर, श्री सूर्यकांत प्रस्तुत करते हैं कि लाभ केवल हरियाणा राज्य के अधिवासियों के लिए स्वीकार्य है और 22 अक्टूबर, 1990 के पत्र को देखते हुए ऐसा व्यक्ति आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। क्या ऐसा ही है?

(8) याचिकाकर्ता का जन्म हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ होगा, हालाँकि, वह वर्ष 1970 में हरियाणा राज्य में सेवा में शामिल हुआ था। यह मान लेना उचित होगा कि वह तब से हरियाणा राज्य में रह रहा है।18 दिसंबर, 1973 के पत्र (अनुलग्नक पी. 5) के अनुसार, हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को प्रामाणिक निवासी माना जाता है और वे आरक्षण के लाभ *के हकदार* हैं। इन निर्देशों को सरकार के किसी भी बाद के निर्णय द्वारा विशेष रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।22 अक्टूबर, 1990 का पत्र एक समान स्थिति से संबंधित नहीं है।इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि 1973 के निर्देशों को हटा दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्तीय आयुक्त को दिया गया स्पष्टीकरण है। सटीक संदर्भ और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

मामले के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।8 दिसंबर, 1973 के पत्र और इस मामले के तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति के सदस्य, जो हरियाणा सरकार की सेवा में हैं, आरक्षण का लाभ दिए जाने के हकदार हैं।पत्र के सादे पढ़ने पर यह लाभ पदोन्नति के मामले में स्वीकार्य प्रतीत होता है।

(9)श्री सूर्यैत कांत ने तर्क दिया कि- जुलाई 1985 के पत्र (अनुलग्नक आर.3/3) के माध्यम से, सरकार ने लाभ का अनुदान केवल हरियाणा राज्य के निवासियों तक ही सीमित कर दिया था। उनका कहना है कि इस पत्र को 18 दिसंबर, 1973 के पत्र द्वारा जारी निर्देशों का अधिक्रमण माना जाना चाहिए। इस तर्क को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि 18 दिसंबर, 1973 के निर्देशों को हटा दिया गया है। दूसरे, इस प्रश्न पर केवल पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभ देने के संदर्भ में विचार किया जा रहा था। इसकी जांच उन व्यक्तियों के संबंध में नहीं की जा रही थी जो पहले से ही हरियाणा राज्य की सेवा में थे।

(10) श्री सूर्यकांत ने तब तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति ने "उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में" अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट किया है नतीजतन, वह प्रस्तुत करते हैं कि' चमार 'को केवल हरियाणा राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाता है। निःसंदिग्ध रूप से यह सही है। हालाँकि, (हरियाणा राज्य में रोजगार पर किसी अन्य राज्य के निवासी किसी विशेष जाति के सदस्य नहीं हैं, जिससे वे वास्तव में संबंधित हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में, एक 'चमार', जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित है और जिसे हरियाणा राज्य में भी मान्यता प्राप्त है, उस वर्ग का सदस्य बना हुआ है।18 दिसंबर, 1973 के निर्देशों के आधार पर, वह हरियाणा राज्य का एक वास्तविक निवासी बन जाता है *और* इस प्रकार आरक्षण का लाभ पाने का हकदार होता है।)

(11) श्री सूर्यकांत ने तब तर्क दिया कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए-5 *फरवरी,* 1992 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता को हरियाणा का प्रामाणिक निवासी *नहीं माना* जा सकता है।इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस पत्र में केवल मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण

है और यह सरकार का निर्णय नहीं है।यह निर्णय वास्तव में 18 दिसंबर, 1973 के निर्देशों में निहित है। स्पष्टीकरण इन निर्देशों का अधिक्रमण नहीं है।

(12) तदनुसार, राज्य की विवादित कार्रवाई और विशेष रूप से 7 फरवरी, 1992 के आदेश, प्रतिवादी संख्या 3 को पदोन्नत करने और 13 दिसंबर, 1991 के आदेश को रद्द करने को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। फलस्वरूप इन्हें रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को 13 दिसंबर, 1991 से पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा
गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम,हरियाणा